विशेषाधिकार उल्लंघन नोटिस

स्रोत: द हिंदू

मुख्य विपक्षी दल ने पूर्व **उपराष्ट्रपति** और **राज्यसभा** के सभापति के खिलाफ **“अपमानजनक” टिप्पणी** करने के लिये **प्रधानमंत्री** के खिलाफ **विशेषाधिकार हनन** का नोटिस प्रस्तुत किया।

विशेषाधिकार का उल्लंघन क्या है?

- **परिचय:**
  - जब कोई व्यक्ति या अधिकारी किसी सदस्य के विशेषाधिकार, **अधिकार और उन्मुक्ति** का उल्लंघन करता है, चाहे वह **व्यक्तिगत** रूप से हो या **सदन की सामूहिक क्षमता में,** तो उस अपराध को विशेषाधिकार का उल्लंघन कहा जाता है तथा **सदन द्वारा दंडनीय** होता है।
  - इसके अतिरिक्त, **सदन के प्राधिकार या गरिमा का अनादर करने वाली कोई भी कार्रवाई** , जैसे उसके आदेशों की अनदेखी करना या उसके सदस्यों, समितियों या अधिकारियों का अपमान करना, विशेषाधिकार का उल्लंघन माना जाता है।
- **सदन की अवमानना बनाम औचित्य के मुद्दे:**
  - **सदन की अवमानना:** इसे सामान्यतः ऐसे किसी भी कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है जो संसद के किसी भी सदस्य या सदन को उसके कर्त्तव्य और कार्यों के निर्वहन में बाधा डालता है।
  - **औचित्य के बिंदु:** संसद और उसके सदस्यों को विशिष्ट प्रथाओं तथा परंपराओं का पालन करना चाहिये एवंइनका **उल्लंघन करना 'अनुचित'** माना जाता है।
- **संसद की दण्ड देने की शक्ति:**
  - संसद का प्रत्येक सदन अपने विशेषाधिकारों का संरक्षक है।
  - भारत में न्यायालयों ने माना है कि **संसद का सदन (या राज्य विधानमंडल) किसी विशेष मामले में सदन के विशेषाधिकार का उल्लंघन हुआ है या नहीं,** इसका निर्णय करने का एकमात्र प्राधिकारी है।
  - **सदन विशेषाधिकारों के उल्लंघन या सदन की अवमानना का दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को फटकार या चेतावनी देकर या निर्दिष्ट अवधि के लिये कारावास से दंडित कर सकता है।**
    - इसके अलावा सदन अपने सदस्यों को दो अन्य तरीकों से दंडित कर सकता है अर्थात् **सेवा से निलंबन और निष्कासन।**
    - हालाँकि **सदस्य द्वारा बिना शर्त माफी मांगने की स्थिति में सदन आमतौर पर अपनी** गरिमा के हित में मामले को आगे बढ़ाने से बचता है।
- **कार्यविधि: विशेषाधिकार के प्रश्नों से निपटने की प्रक्रिया राज्यसभा के** प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम, **187 से 203 में निर्धारित की गई है।**
  - सदन में विशेषाधिकार का प्रश्न सभापति की सहमति प्राप्त करने के बाद ही उठाया जा सकता है।
  - यह प्रश्न कि क्या **कोई मामला वास्तव में विशेषाधिकार का उल्लंघन है या सदन की अवमानना** का है, इसका निर्णय पूरी तरह से सदन को करना है।
- **किसी अन्य सदन के सदस्य द्वारा विशेषाधिकार का उल्लंघन:**
  - विशेषाधिकार समितियों की संयुक्त रिपोर्ट,1954 की के अनुसार, जब सदन के कार्मिकों से संबंधित विशेषाधिकार हनन का मामला लोकसभा या राज्यसभा में उठाया जाता है, तो पीठासीन अधिकारी मामले को दूसरे सदन के पीठासीन अधिकारी को प्रेषित कर देता है।
    - सदन इसे अपने विशेषाधिकार के उल्लंघन के रूप में देखता है तथा जाँच एवं की गई कार्रवाई के बारे में रिपोर्ट देता है।

//

संसदीय विशेषाधिकार

संसदीय विशेषाधिकार सांसदों, विधायकों और उनकी समितियों को प्राप्त विशेष अधिकार, उन्मुक्तियाँ और छूट हैं।

संवैधानिक प्रावधान

- **अनुच्छेद 105:** संसद सदस्यों के लिये
- **अनुच्छेद 194:** विधानसभा सदस्यों के लिये

यह कर्त्तव्यों के निर्वाह के दौरान दिये गए बयानों या कृत्यों के लिये केवल नागरिक प्रतिरक्षा प्रदान करता है।

शक्ति के स्रोत

- संवैधानिक प्रावधान
- संसद द्वारा निर्मित विभिन्न कानून
- दोनों सदनों के नियम
- संसदीय अभिसमय
- न्यायिक व्याख्याएँ

सदस्यों के निज़ी विशेषाधिकार

- संसद में **अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता**
- सांसद/समिति को बयानों या मतदान के संबंध में **कानूनी कार्यवाही से छूट**
- संसद के किसी भी सदन द्वारा रिपोर्ट, दस्तावेज़, मत या कार्यवाही के प्रकाशन के संबंध में **न्यायायिक कार्यवाही से छूट**
- **कथित प्रक्रियात्मक अनियमितताओं** के कारण न्यायालय में संसदीय कार्यवाही की वैधता पर प्रश्न करने से रोक
- सदस्यों को सदन या समिति की बैठक के दौरान और उसके सत्र से **40** दिन पहले या बाद में **नागरिक मामलों में गिरफ्तारी से छूट**

सदन का सामूहिक विशेषाधिकार

- सदन को **किसी सदस्य की गिरफ्तारी,** हिरासत, दोषसिद्धि, कारावास और रिहाई **के बारे में त्वरित रूप से सूचित किये जाने का अधिकार है**
- अध्यक्ष/सभापति की अनुमति प्राप्त किये बिना सदन के परिसर के अंदर **गिरफ्तारी और कानूनी प्रक्रिया की सेवा से प्रतिरक्षा**
- सदन की गुप्त बैठक की कार्यवाही के प्रकाशन का संरक्षण
- रिपोर्ट और कार्यवाही के साथ संसदीय समिति को प्रस्तुत किये गए **साक्ष्य** आधिकारिक तौर पर सदन के पटल पर रखे जाने तक **गोपनीय रहने चाहिये**
- सदन के सदस्यों/अधिकारियों को सदन की कार्यवाही के संबंध में दस्तावेज़ प्रस्तुत करने या न्यायालय में गवाही देने के लिये सदन की अनुमति की आवश्यकता होती है

महत्त्वपूर्ण निर्णय

- ***केरल राज्य बनाम के. अजित मामला (वर्ष 2021)-***
  उच्चतम न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया, कि विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ देश के सामान्य कानून से छूट का दावा करने का माध्यम नहीं हैं, विशेष रूप से आपराधिक कानून के मामले में जो प्रत्येक नागरिक की कार्रवाई को नियंत्रित करता है।
- वर्ष **2024** में **7** न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने **पी.वी. नरसिम्हा राव बनाम राज्य (1998) मामले** में **5** न्यायाधीशों की पीठ के फैसले को यह स्पष्ट करते हुए पलट दिया, कि संविधान के अनुच्छेद **105** और **194** द्वारा प्रदान किये गए विशेषाधिकार रिश्वत के मामलों तक विस्तारित नहीं है।

Drishti IAS

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सी संसदीय समिति जाँच करती है और सदन को रिपोर्ट करती है कि संविधान द्वारा प्रदत्त या संसद द्वारा प्रत्यायोजित विनियमों, नियमों, उप-नियमों, उप-विधियों आदि को बनाने की शक्तियों का कार्यपालिका द्वारा प्रतिनिधिमंडल के दायरे में उचित रूप से प्रयोग किया जा रहा है। (2018)

(a) सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति
(b) अधीनस्थ विधान संबंधी समिति
(c) नियम समिति
(d) कार्य मंत्रणा समिति

उत्तर: (b)

?????:

प्रश्न: संसद और उसके सदस्यों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ (इम्यूनिटीज़), जैसे कि वे संविधान की धारा 105 में परिकल्पित हैं, अनेकों असंहिताबद्ध (अन कोडिफाइड) और अ-परिगणित विशेषाधिकारों के जारी रहने का स्थान खाली छोड़ देती हैं। संसदीय विशेषाधिकारों के विधिक संहिताकरण की अनुपस्थिति के कारणों का आकलन कीजिये। इस समस्या का क्या समाधान निकाला जा सकता है? (2014)

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/breach-of-privilege-notice